


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

र :- 198/2024

रौमेश्वर बनाम झंजूडी

आज्ञा र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी को सांयकाल 6 बजे तक बार बार आवाज लगाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आये न ही वादी की ओर से अन्य कोई पैरवी करने हेतु हाजिर अदालत आये। अतः दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	